

अंचल अधिकारी का कार्यालय, कुचाई ।

अनुसूची 10 -फारम सं0-562

आदेश-पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक -ता0 तक

अभिलेख संख्या 09 सन् 2025-26

केस का प्रकार-ऑनलाईन जमाबन्दी प्रविष्टि ।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
07.03.2025 10.03.2025	आवेदक <u>राम चरण कुमहार</u> के द्वारा मौजा <u>जी.डा.सुरजम</u> थाना <u>कुचाई</u> अन्तर्गत खाता संख्या <u>111</u> प्लॉट सं0 <u>538, 539, 540, 541</u> रकवा <u>44</u> डी0 भूमि का ऑनलाईन जमाबन्दी प्रविष्टि हेतु आवेदन समर्पित किया गया है । संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक को दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें । अभिलेख दिनांक <u>25/03/25</u> को उपस्थापित करें । अंचल अधिकारी, कुचाई ।	
25.03.2025	अभिलेख उपस्थापित । राजस्व उपनिरीक्षक को प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है । प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि सर्वे खतियान के अनुसार <u>नन्दी लाल कुमहार</u> के नाम से रैयती दर्ज है । आवेदक के <u>पिता</u> के नाम से केवाला से प्राप्त भूमि है । आवेदक के द्वारा केवाला / लगान रसीद / शुद्धि पत्र इत्यादि की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है । अभिलेख दिनांक <u>22/04/25</u> को उपस्थापित करें । अंचल अधिकारी, कुचाई ।	
22.04.2025	प्राप्त अभिलेख में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन, भौतिक पंजी-2 एवं आम इस्तेहार के आधार पर पंजी-2 प्रविष्टि की स्वीकृति दी जाती है । अंचल अधिकारी, कुचाई ।	

सेवा में

अंचल अधिकारी

कुचई।

द्वारा-अंचल निरीक्षक।

विषय :- नया जमाबंदी करने के संबंध में जाँच प्रतिवेदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मौजा बोडासजम में जा कर स्थानीय एवं राजस्व कागजात से जाँच किया।

मौजा बोडासजम थाना नं० 20 खाता नं० 111 प्लॉट सं० 538, 539, 540, 541 रकबा 0-44 ए०

भूमि रैयती खाते कि है जो आवेदक/आवेदिका श्री नन्दीबाल कुमहार पिता/पति श्री सुकराम कुमहार के नाम से हाल सर्वे खतियान में दर्ज है। पंजी-2 के पेज नं० 197 भोलुम नं० I पर श्री नन्दीबाल कुमहार जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद सं० 2966459 वर्ष 2000-2001 से लेकर 2000-2001 तक निर्गत है।

रैयत का नाम	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	किस्म खतियान के अनुसार	लगान	Mutation Case No
श्री नन्दीबाल कुमहार पिता - श्री सुकराम कुमहार	111	538 539 540 541	0-11 ए० 0-10 ए० 0-09 ए० 0-14 ए०	रैयती में जा	4-00 (र०)	15/1988-89
		प्लॉट नं०	0-44 ए०			

- आवेदनकर्ता जमाबंदी रैयत के संबंध पिता - पुत्र
- भूमि वन/वन सीमा/भू-हदबंदी/भूदान/सुधार क्षेत्री के व्यक्ति के साथ वन/स्त भूमि/शमशान/कब्रिस्तान/धार्मिक स्थल, भूमि खास महल, गैर मजकूर खास आम, जंगल झाड़ी, नदी, तालाब, जल स्रोत से बाहर है। -- हाँ
- भूमि से संबंधित कोई सनांतर जमाबंदी नहीं है।

स्पष्ट मन्तव्य :- आंकड़ों/कागजातों

राजस्व उपनिरीक्षक का ह०

अंचल अधिकारी
कुचई
उपर्युक्त मौजा का पंजी-
27 से मंजूर

महोदय, आवेदित भूमि का रकबा कागजातों में उपलब्ध राजस्व कागजातों से जाँच किया गया कि आवेदित भूमि मौजा-बोडासजम, थाना नं०-20 (प्लॉट नं० - 111) प्लॉट नं० - 538, 539, 540, 541 (रकबा कुल - 0-11 ए०, 0-10 ए०, 0-09 ए०, 0-14 ए० कुल - 0-44 ए०) भूमि नं० 15/1988-89 द्वारा लाभांशित बोडासजम पंजी-2 के पंजी-2, 1988 ए०-197 में श्री नन्दीबाल कुमहार पिता-श्री सुकराम कुमहार के नाम पर जमाबंदी कायम है। पंजी-2 के पंजी-2, 2000-2001 तक निर्गत है। अतः लगान रकबा एवं उपर्युक्त पंजी-2 में मौजा कागजातों में

अंचल निरीक्षक का ह०

आदेश

महोदय, उपरोक्त भूमि का अखण्डित लिपिक ले जाय कयई जाये।
अंत्योपपत्त प्रसिद्धित किया गया है कि पंजी-27 के 101-1V
के सख्त ल०- 46 में बहकौवल कुम्हार पि०- सुकशम कुम्हार के
नाम पर मोजा - जोडासखम, धाना न०- 20, खाता न०- 111, लॉट न०-
538, 539, 540, 541, रक्बा क्रमः - 0.11 ल०, 0.10 ल०, 0.09 ल०, 0.14 ल०
कुल रक्बा - 0.44 ल० भूमि एवं नार मु० ल० - 15/1988-89 अंकित पाया
जाया।

Mayer
R.D.-2